

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्र-परिषद के महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यों?

9 नवंबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रमंडल की बैठक में नवीन राजस्थान स्टार्ट-अप नीति-2022 का अनुमोदन के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए।

प्रमुख बदि

- मंत्रमंडल ने पूर्वी राजस्थान नहर परयोजना (ईआरसीपी) को आगे बढ़ाने के लयि अहम नरिणय लयि।
 - अनुमोदति प्रस्ताव के अनुसार, ईआरसीपी नगिम को जल संसाधन वभिग/सीएडी/आईजीएनडी/एसडब्ल्यूआरपीडी के स्वामतिव की अनुपयोगी भूमा एवं भूमा से संबंधति संपत्तयिों का निःशुल्क हस्तांतरण कयिा जाना है। साथ ही नगिम के वत्तीय प्रबंधन के लयि वभिगों द्वारा हस्तांतरति भूमा का प्रबंधन/बेचान/लीज/अन्य उपयोग में लेकर प्राप्त शत-प्रतशित आय का उपयोग नगिम के कार्यों के लयि कयिा जाना है।
 - उल्लेखनीय है कि ईआरसीपी प्रदेश के 13 जिलों (झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक) के लयि पेयजल के साथ-साथ सचिाई की भी अतमिहत्त्वपूर्ण परयोजना है।
- मंत्रमंडल ने नवीन राजस्थान स्टार्ट-अप नीति, 2022 का अनुमोदन कयिा।
 - इस नीति से प्रदेश के स्टार्ट-अप, उदयमशील वदियार्थयिों, ग्रामीण स्टार्ट-अपस एवं सांस्थानकि इनक्यूबेशन सेंटर्स को फायदा मल्लिगा। प्रदेश में नविश व रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगकि वकिसा को बढ़ावा मल्लिगा।
 - उल्लेखनीय है कि बजट सत्र 2020-21 में आई-स्टार्ट कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लयि नीति लागू करने संबंधति घोषणा की गई थी।
- मंत्रमंडल ने बैटल कैंजुअलटी, फजिकिल कैंजुअलटी के आशरतिों को अथवा स्थायी रूप से अशकत सशस्त्र बल सेवा कार्मकिों तथा पैरा मलिटिरी (बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, कोस्ट गार्ड) कार्मकिों के आशरतिों को अनुकंपात्मक नयुक्ति नयिम, 2002 में प्रस्तावति संशोधन को मंजूरी दी।
 - उक्त संशोधन के बाद शहीद परिवार तथा उक्त सेवाओं के स्थायी रूप से अशकत कार्मकिों के आशरति सदस्यों को पे-लेवल 10 तक के पदों पर नयुक्तियिों प्रदान की जाएगी तथा पूर्व की अपेक्षा ऐसे परिवारों को बेहतर रूप से संबल प्रदान कयिा जा सकेगा।
- मंत्रमंडल ने राजस्थान सविलि सेवा (पुनरीकषति वेतन) नयिम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कार्मकिों के हतिों में बड़ा नरिणय लयिा है। इसमें राजस्थान सविलि सेवा (वर्गीकरण नयितरण एवं अपील) नयिम, 1958 के नयिम 17 के अंतरगत कार्मकि को दी गई लघु शासतयिों के मामलों में एसीपी में पारणामकि प्रभाव को समाप्त कयिा जा रहा है।
- मंत्रमंडल ने राजस्थान समेकति बाल वकिसा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नयिम, 1998 में संशोधन कयिा है। इससे पर्यवेक्षक के पद पर अतिपछिड़ा वर्ग एवं आर्थकि रूप से कमजोर अभ्यर्थयिों को भी आरकषति वर्ग के समान ऊपरी आयु सीमा में छूट मल्लिगी।
 - महिला एवं बाल वकिसा वभिग में आंगनबाड़ी कार्मकर्त्ता से पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भरती के लयि ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है, जसिमें आरकषति वर्ग के अभ्यर्थयिों के लयि 5 वर्ष की अतरिकित छूट भी देय है। अब यह शथिलिता अन्य आरकषति वर्गों के साथ-साथ अतिपछिड़े और आर्थकि रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थयिों को भी मलि सकेगी।
 - उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा में आर्थकि रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थयिों को आरकषति वर्ग के समान आयु सीमा में शथिलिन देने की घोषणा की गई थी।
- मंत्रमंडल द्वारा राज्य में अनुसूचति कषेत्रों का दायरा बढ़ने के परणामस्वरूप उस कषेत्र के अभ्यर्थयिों को आरकषण का लाभ देने के प्रस्ताव का अनुमोदन कयिा गया है।
 - इस क्रम में राजस्थान अनुसूचति कषेत्र अधीनस्थ, लपिकिवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी (भरती एवं सेवा की अन्य शरतें) नयिम, 2014 में भारत सरकार की 19 मई, 2018 को जारी हुई अधिसूचना के अनुसार संशोधन कयि जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
 - उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की अधिसूचना के अंतरगत प्रदेश के बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चतितौड़गढ़, पाली व सरीही जिलों में अनुसूचति कषेत्रों का दायरा बढ़ गया था, जसि कारण बढ़े हुए कषेत्रों के अभ्यर्थयिों को आरकषण का लाभ नहीं मलि पा रहा था। उक्त अनुमोदन से अभ्यर्थयिों को आरकषण का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- मंत्रमंडल ने राज्य के उत्कृष्ट खलिाड़यिों को राजकीय सेवाओं में 2 प्रतशित आरकषण का लाभ 'राजस्थान इंजीनयिरगि सबऑर्डनिट सवसिज (इलेक्ट्रिकिल इंस्पेक्टोरेट ब्रांच)' और 'राजस्थान साइंस एंड टेक्नोलॉजी (स्टेट एंड सबऑर्डनिट)' सेवाओं में भी देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
- इसके साथ ही मंत्रमंडल ने राष्ट्रीय खेलों में प्रतनिधित्व करने वाले राजस्थान राज्य के उत्कृष्ट खलिाड़यिों को भी 'आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्सप्रसन'की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कयिा है। इस नरिणय से राज्य के उत्कृष्ट खलिाड़यिों का मनोबल बढ़ेगा।

- मंत्रिमंडल ने मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड को जैसलमेर में वृहद् उद्योग (सीमेंट प्लांट एवं रेलवे साईडिंग) की स्थापना के लिये कुल 5237 हैक्टेयर औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षणित भूमिका आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
 - इसमें ग्राम पारेवर (तहसील जैसलमेर), ग्राम सोनू (तहसील सम) तथा ग्राम लीला पारेवर (तहसील जैसलमेर) में क्रमशः 0650 हैक्टेयर प्लांट हेतु एवं 23.4587 हैक्टेयर भूमि रेलवे साईडिंग व सड़क हेतु आवंटन पर नरिणय लिया गया है।
 - यह परियोजना दो चरणों में स्थापति होगी। इनमें कुल 4200 करोड़ रुपये का नविश प्रस्तावति है। परत्यक्ष-अपरत्यक्ष रूप से लगभग 1500 लोगों को रोजगार मल्लिगा। इसके अतरिकित नरिमाण प्रक्रया में भी श्रमकों को काम मल्लिगा।
- मंत्रिमंडल ने जनजाति कषेत्रीय वकिस वभिग द्वारा संचालति महलिा (बालकिा) छात्रावासों में छात्रावास अधीकषक ग्रेड-2 का पद केवल महलिा अभ्यरथयों द्वारा ही भरे जाने का नरिणय लिया है। इस नरिणय से इन छात्रावासों में रहकर अधययन कर रही बालकिाओं की सुरकषा एवं नजिता सुनश्चिति की जा सकेगी।
- मंत्रिमंडल ने बूंदी के हडिोली में स्थति राजकीय औद्योगकि प्रशकषण संस्थान का नामकरण बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है क मुखयमंत्री ने 30 जुलाई, 2022 को अपनी बूंदी यात्रा के दौरान हडिोली में बनने वाले आई.टी.आई. कॉलेज का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर आई.टी.आई. कॉलेज करने की घोषणा की थी।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/important-decisions-of-the-state-council-of-ministers-under-the-chairmanship-of-the-chief-minister>

